संख्या- 1222/15-17-87-63(7)/88

प्रेषक,

श्री एल०एस० गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन,
2/19, संत विहार अंसारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग-17 लखनऊ: दिनांक 25 अप्रैल, 1987

विषय:- सेन्ट मेरीज कान्वेन्ट स्कूल, डाकपत्थर, देहरादून को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट मेरीज कान्वेन्ट स्कूल, डाकपत्थर, देहरादून को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(क) सामान्य प्रतिबन्ध

1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधावी और पिछड़े एवं निर्बल आय-वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

4- संस्था के सभी अध्यापक/ अध्यापिकाएं प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे, उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

6- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

....2/-

Scanned with CamScanner

ख॰ विशेष प्रतिबन्ध

1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा ।

2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-कक्ष, दो वैकल्पिक विषय कक्ष, दो विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी ।

3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायताप्राप्त अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

4- विद्यालय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों/ पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

5- विद्यालय के निजी भूमि भवन की व्यवस्था की जानी होगी ।

6- विद्यालय के खाते से किसी अन्य सोसाइटी को धनराशि स्थानांतरित नहीं की जायेगी ।

7- विद्यालय में कार्यरत अध्यापक/ कर्मचारियों के लिए पी०एफ० योजना लागू की जायेगी ।

8- विज्ञान प्रयोगशाला में यथेष्ठ मात्रा में पीने टैंक की व्यवस्था की जायेगी ।

2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(एल०एस० गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1222 (1)/15-17-89-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, शिविर कार्यालय, लखनऊ ।
2- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
3- प्रबन्धक, सेन्ट मेरीज कान्वेन्ट स्कूल, डाकपत्थर, देहरादून ।
4- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, पौड़ी गढ़वाल ।
5- जिला विद्यालय निरीक्षक, देहरादून ।

आज्ञा से,

(एल०एस० गौतम)
संयुक्त सचिव।

Manager
St. Mary's Convent School
VIKASNAGAR- 248198
Dehradun (U.K.)

Principal
St. Mary's Convent Sr. Sec. School
Aff. No. 3530036
VIKASNAGAR-248198
Dehradun (Uttarakhand)

Scanned with CamScanner